

प्रारूप - 2
[विनियम 19 (2) एवं विनियम 35 (5)]
वचनबद्ध - सह - घोषणा

मैं आयु लगभग वर्ष, पिता/
पति निवासी
पोस्ट..... थाना तहसील
जिला राज्य एतद् द्वारा निम्नानुसार वचन देता
हूँ/ देती हूँ तथा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :-

- (1) मैं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जिला प्राधिकरण के सचिव या सदस्यों में से किस सदस्य द्वारा किये गये किसी अधिग्रहण तथा निर्देश का अनुपालन करूंगा।
- (2) मैं समिति/जिला प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध किये विधिक सेवा अधिवक्ता को मेरे मामले के सभी तथ्यों की पूर्ण तथा सही जाकारी दूंगा/दूंगी।
- (3) मैं माननीय छत्तीसगढ़ न्यायालय/न्यायालयमें
(क)के निर्णय से अपील में
(ख) के लिये रिट की अधिकारियों
(ग) के रूप में कार्यवाही करने या उनका प्रतिरक्षण करने के लिये जाना चाहता हूँ।
(जो लागू न हो उसे काट दीजिये)
- (4) मैं, एतद् द्वारा यह करार करता हूँ/करती हूँ कि, उस दशा में जबकि, न्यायालय द्वारा मेरे पक्ष में डिक्री या आदेश पारित करत हुये मुझे खर्चे या अन्य मौद्रिक प्रसुविधा या लाभ दिया जाता है तो मैं, मुझे विधिक सेवा प्रदान करने में समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा उपगत समस्त खर्चे, प्रभार तथा व्यय की प्रतिपूर्ति के तौर पर समिति/जिला प्राधिकरण को भुगतान करूंगा। मैं एतद् द्वारा उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को ऐसी समस्त कार्य तथा बातें, जो कि मुझे भुगतान किये जाने के लिये डिक्री की गई या आदेश दी गई रकम की वसूली या उपयाप्त करने के लिये आवश्यक हो, करने के लिये भी प्राधिकृत करता हूँ/करती हूँ और उक्त वर्णित प्रयोजन के लिये उसकी प्रतिपूर्ति करें।
- (5) मैं एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि, उस दशा में यदि किसी डिक्री या आदेश के अधीन कोई प्रसुविधा मेरे पक्ष में प्रदान की जाती है तो उच्च न्यायालय/न्यायालय, इस बात के लिये स्वतंत्र होगा कि मुझे समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता प्रदान करने के लिये उपगत किये गये व्यय के प्रति समिति/जिला प्राधिकरण ऐसी रकम का अपयोजन कर सकेगा तथा मैं समिति/जिला प्राधिकरण को इस संबंध में सही जानकारी दूंगा/दूंगी।
- (6) मैं करार करता हूँ कि, मेरे मामले को माननीय उच्च न्यायालय/न्यायालय में लोक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध की जाये यदि किसी भी स्तर पर समिति/जिला प्राधिकरण द्वारा यह विचार किया जाता है कि, मेरे मामले में लोक अदालत के माध्यम से सुलह हो सकती है या विनिश्चय किया जा सकता/सकती है।

आवेदक

स्थान :

विधिक सहायता के लिये आवेदन - पत्र

(आवेदन अंतर्गत विनियम-28, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2003)

प्रति,

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव (छ.ग.)

1. (क) आवेदक/आवेदिका का नाम :
 - (ख) पिता/पति का नाम :
 - (ग) जाति/वर्ग :
 - (घ) निवास स्थान एवं पता :
-
2. क्या आवेदक ने जिला विधिक सहायता तथा विधिक सलाह समिति से इसके पूर्व विधिक सलाह चाही थी ? :
 - (क) क्या आवेदक ने ऐसी विधिक सलाह यदि कोई हो, के अनुसार कार्य किया है। :
 - (ख) उस विधि के बारे में संक्षिप्त वर्णन, जिसमें की आवेदक ने ऐसी विधिक सलाह के अनुसार कार्य किया है। :
-
3. अपेक्षित विधिक सहायता का रूप :-
 - (क) वाद पत्र या अपील के ज्ञापन या प्रतिवादा पर न्यायालय फीस (लगभग रकम)। :
 - (ख) प्रतिपक्ष को तामील करने के लिये आदेशिका फीस :
 - (ग) साक्षियों के व्यय :
 - (घ) निर्णयों तथा आदेशों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां अभिप्राप्त करने के व्यय :
 - (ङ) लेखा पुस्तकों (पेपर बुक) जिनके अंतर्गत दस्तावेजों का मुद्रण तथा अनुवाद भी आता है का तैयार किया जाना। :
 - (च) ऐसा ही कोई अन्य व्यय :
-
4. विवाद के पक्षकारों के नाम तथा पते :
 5. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य :
 6. विधिक कार्यवाही का प्रक्रम :

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगुठे के निशान

प्रारूप - 1

[अंतर्गत छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 2003 के विनियम 28 (1)]

शपथ पत्र

मैं आयु लगभग वर्ष
पिता/पति श्री जाति
निवासी थाना तहसील
जिला राज्य एतद् द्वारा सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा
करता हूँ तथा नियमानुसार कथन करता हूँ :-

1. मैं अनुसूचित जाति/जनजाति का एक सदस्य हूँ।
2. मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा एक निःशक्त व्यक्ति हूँ।
3. मैं विधिक सेवा का पात्र हूँ, कारण कि, मैं एक महिला हूँ या बालक हूँ।
4. मैं मानव के दुर्व्यवहार या किसी बेगार का एक शिकार हूँ।
5. मैं सामुदायिक विपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक विपदा का शिकार होने के दरिद्रता की परिस्थितियों के अधीन एक व्यक्ति हूँ।
6. मैं एक औद्योगिक कर्मकार हूँ।
7. मैं अभिरक्षा में हूँ।
8. मेरे समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूप 50000.00 (पचास हजार) से अधिक नहीं है।

(जो लागू न हो काट दें)

.....
अभिसाक्षी/शपथकर्ता

सत्यापन

मैं पिता/पति ऊपर नामित अभिसाक्षी
एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ/ करती हूँ कि, उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान से सत्य व सही है उसमें कथन किया गया कुछ भी
सत्य नहीं है तथा कुछ भी छुपाया नहीं गया है। अतः तारीख सन् को
स्थान पर सत्यापित किया गया।